क्रमांक - 39

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग- दो

सोमवार, दिनांक 22 जून, 2026 (आषाढ़ , 01, 1948)

स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण एवं शून्यकाल की सूचनाएं ऑफ लाईन एवं ई-मेल आई.डी. पर विधान सभा भवन में प्राप्त करने संबंधी व्यवस्था

विधान सभा का आगामी सत्र दिनांक 20 जुलाई, 2026 से प्रारंभ हो रहा है । उक्त सत्र हेतु स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण एवं शून्यकाल की सूचनाएं पूर्व की भांति ऑफ लाईन/ऑन लाईन (ई-मेल आई.डी.) पर दिनांक 14 जुलाई, 2026 से विधान सभा भवन में प्राप्त की जायेंगी।

प्रथम दिवस की बैठक हेतु उपर्युक्त सूचनाएं दिनांक 14 जुलाई, 2026 से 17 जुलाई, 2026 तक पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक प्राप्त की जायेंगी । तत्पश्चात विधान सभा बैठक के दिनों में सूचनाएं लेने का समय प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक या सभा की बैठक समाप्ति तक रहेगा ।

प्रथम दिवस की बैठक हेतु सूचनाओं के लिए विधान सभा भवन के मुख्य द्वार पर सूचना देने वाले माननीय सदस्यों, तदनंतर उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को उपस्थित मार्शल द्वारा क्रमानुसार टोकन उपलब्ध कराये जायेंगे । मुख्य द्वार पर उपस्थित टोकनधारियों को सूचना देने हेतु भीतर जाने की अनुमति निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व दी जाएगी । प्राप्त टोकन पर अंकित क्रमानुसार विधान सभा भवन स्थित कक्ष क्रमांक 202 (प्रथम तल) में अपर सचिव या उपस्थित अधिकारी द्वारा सूचना प्राप्त की जायेंगी । उपरोक्त व्यवस्था के साथ-साथ माननीय सदस्यों द्वारा सूचनाऐं नियमानुसार विधान सभा के ई-मेल आई.डी. vidhansabha-mp@nic.in पर वैकल्पिक तौर पर भी भेजी जा सकेंगी ।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22 (7) (क) के अनुसार कोई भी सदस्य किसी एक बैठक के लिए स्थगन प्रस्ताव की एक से अधिक सूचना नहीं देगा । प्रारंभिक दिनों में जो माननीय सदस्य एक से अधिक बैठकों की सूचनाएं एक साथ देना चाहेंगे, उन्हें ऐसी सूचनाओं में विषय का तिथिवार प्राथमिकता क्रम भी दर्शाना होगा ।

इसी प्रकार मध्यप्रदेश विधान सभा कार्य संचालन नियमावली के नियम 138 (1) के परंतुक के तहत कोई सदस्य एक बैठक के लिए दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं दे सकेगा । किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होने की दशा में यह समझा जायेगा कि ऐसी सूचना केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गयी है ।

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा